# RTI RULES AND MOTTO

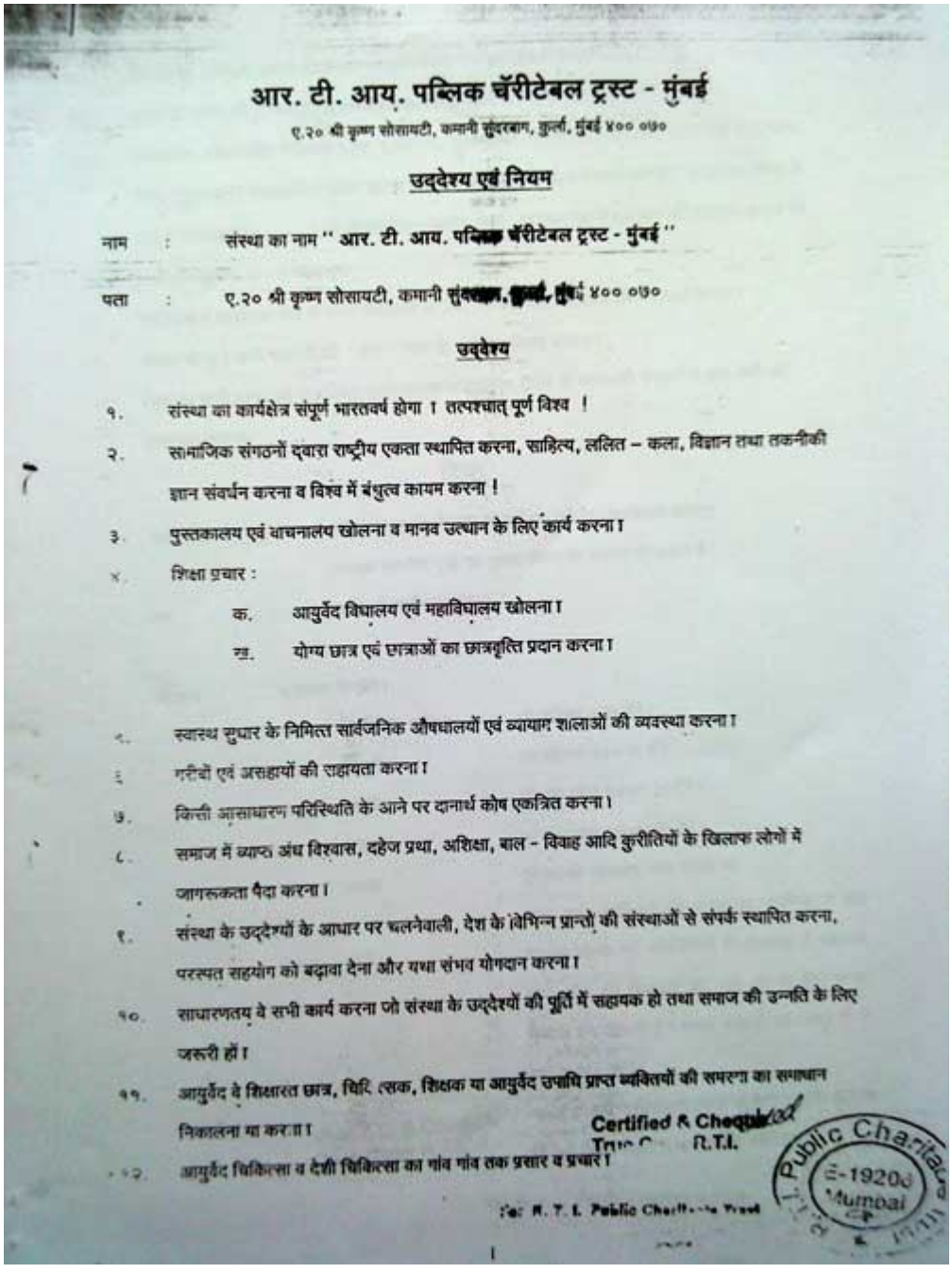

## आर. टी. आय. पब्लिक चॅरीटेबल ट्रस्ट - मुंबई

ए.२० श्री कृष्ण सोसायटी, कमानी सुंदरबाग, कुर्ला, मुंबई ४०० ०७०

### उद्देश्य एवं नियम

नाम : संस्था का नाम " आर. टी. आय. पब्लिक चॅरीटेबल ट्रस्ट - मुंबई "

पता : ए.२० श्री कृष्ण सोसायटी, कमानी सुंदरबाग, कुर्ला, मुंबई ४०० ०७०

### उद्देश्य

१. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा । तत्पश्चात् पूर्ण विश्व !

२. सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, साहित्य, ललित – कला, विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान संवर्धन करना व विश्व में बंधुत्व कायम करना !

३. पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलना व मानव उत्थान के लिए कार्य करना ।

४. शिक्षा प्रचार :

   क. आयुर्वेद विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलना ।

   ख. योग्य छात्र एवं छात्राओं का छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

५. स्वास्थ सुधार के निमित्त सार्वजनिक औषधालयों एवं व्यायाम शालाओं की व्यवस्था करना ।

६. गरीबों एवं असहायों की सहायता करना ।

७. किसी असाधारण परिस्थिति के आने पर दानार्थ कोष एकत्रित करना ।

८. समाज में व्याप्त अंध विश्वास, दहेज प्रथा, अशिक्षा, बाल - विवाह आदि कुरीतियों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करना ।

९. संस्था के उद्देश्यों के आधार पर चलनेवाली, देश के विभिन्न प्रान्तो की संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना और यथा संभव योगदान करना ।

१०. साधारणतय वे सभी कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो तथा समाज की उन्नति के लिए जरूरी हों ।

११. आयुर्वेद के शिक्षारत छात्र, चिकित्सक, शिक्षक या आयुर्वेद उपाधि प्राप्त व्यक्तियों की समस्या का समाधान निकालना या करना ।

१२. आयुर्वेद चिकित्सा व देशी चिकित्सा का गांव गांव तक प्रसार व प्रचार ।

Certified & Checked
True C... R.T.I.

For R. T. I. Public Charitable Trust

Public Charitable ... E-19203 Mumbai

१३. पत्रिका का प्रकाशन करना आवश्यक एवं ज्ञानवर्धक बातों का प्रसार करना।

१४. युद्ध या भुकंप की विभिषिका के समय विश्वस्तर पर कार्य करना व राहत पहुँचाना।

१५. अस्पताल, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्कूल व कॉलेज, युनिवर्सिटी, रिसर्चसेंटर खोलना। विद्यार्थीयों को पुस्तक, मेडल (पुरस्कार) स्कालरशिप प्रदान करना। विज्ञान की प्रगति के क्षेत्र में कार्य करना। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में संगणक (Computer) को बढ़ावा देना। गार्डन, पार्क, श्मशान गृह व वृध्दश्रम की स्थापना करना एवं कार्यभार सुचारू रूप से चलाना।

१६. शारिरिक व मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए भोजन, शिक्षा व वस्त्र की व्यवस्था करना।

१७. संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को ' हंस ' नाम से संबोधित किया जाएगा।

१८. विश्व के सभी मानव को परमस्थित प्राप्त कराना व साधारण मानव से मानव की उच्चश्रेणी हंस श्रेणी का प्रारूभाव कराना।

## नियम

१ सदस्यता : संस्था के उद्देश्यों तथा नियमों को स्वीकार करनेवाले समस्त वयस्क भारतीय स्त्री एवं पुरूष संस्था के सदस्य हो सकते हैं।

२ वर्ष : अप्रैल से मार्च तक होगा।

३ सदस्य : ५ प्रकार के होंगे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| क. | हितचिंतक सदस्य | : | जो प्रतिवर्ष ५ रू देंगे। |
| ख. | साधारण | : | जो प्रतिवर्ष १०० रू देंगे। |
| ग. | आजीवन | : | जो एक साथ ५००१ रू देंगे। |
| घ. | संरक्षक | : | जो एक साथ २५०० रू देंगे। |
| ड. | मानद | : | संस्था की साधारण सभा किसी भी अन्य भाषा भाषी को जो भारत का नागरिक हो और जिससे संस्था की गतिविधियों के संचालन में सहायता प्राप्त होने की संभावना हो, एक वर्ष के लिए मानद सदस्य बना सकती है। मानद सदस्यों की संख्या दो से अधिक नही होगी। मानद सदस्य न तो कार्यसमिति का सदस्य होगा और न ही उसे किसी बैठक में मत देने का अधिकार होगा। |

Certified & Checked
True Copy R.T.I.

For R. T. I. Public Charitable Trust

R.T.I. Public Cha... E-1920... Mumba...

Trustee

क. संस्था के प्रत्येक सदस्य को नियम पालन करने के निमित्त अनुशासन बद्ध रहना होगा।

ख. नियम ३ (घ) और (ङ) की श्रेणी की सदस्यता के आवेदन - पत्र को स्विकृत या अस्विकृत करने का अधिकार कार्य समिति को होगा।

५. पदाधिकारी :

क. अध्यक्ष

ख. उपाध्यक्ष (अधिकतम् दो होंगे)

ग. महामंत्री

घ. संयुक्त मंत्री (अधिकतम् दो होंगे)

च. संगठन एवम् प्रचार मंत्री (अधिकतम् दो होंगे)

छ. कोषाध्यक्ष

छ. सह - कोषाध्यक्ष

ज. आंतरिक लेखा परीक्षक

: पदाधिकारियों के कर्तव्य एवम् अधिकार :

क. अध्यक्ष :

१. कार्यसमिति, साधारण-सभा, प्रचार सभा, तथा अधिवेशन की अध्यक्षता करना;

२. संस्था की उन्नति एवम् उसकी गतिविधियों के प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहना।

३. समय - समय पर महामंत्री से संपर्क स्थापित करना एवम् आवश्यकतानुसार बैठक बुलाने का निर्देश देना।

४. संस्था के पदाधिकारियों एवम् शाखाओं के कार्यों की जानकारी रखना तथा आवश्यकतानुसार उनके कार्यों में सहायता करना।

५. महामंत्री एवम् कोषाध्यक्ष के सहयोग से संस्था के कोष की पूर्ण जानकारी रखना तथा कोषवृद्धि के लिए समय-समय पर उचित सुझाव कोषाध्यक्ष को देना।

६. विशेष परिस्थिति में निर्णायक मत देना।

Certified & Checked
For R. J. Public Charitable Trust
Public Charitable
E-19206

ख उपाध्यक्ष :

१. विभागीय समितीयों की अध्यक्षता करना।

२. संस्था की गतिविधियों के प्रचार एवम् प्रसार में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

३. अध्यक्ष की अनुपथिती में कार्य-समिति के प्रस्तावानुसार सभा की अध्यक्षता करना।

ग महामंत्री :

१. कार्यसमिति एवम् अध्यक्ष के आज्ञानुसार संस्थाओं एवम् अन्यान्यो से पत्रव्यवहार करना।

२. बैठकों की कार्यवृति लिखना तथा आवश्यकतानुसार प्रकाशित कराना।

३. संस्था के नियमोपनियम के पालन पर ध्यान देना।

४. बैठकों की सूचना विचारणीय विषय के साथ नियमानुसार सदस्यों के देनस की व्यवस्था करना।

५. मंत्रियों के कार्यो का निरिक्षण करना तथा आवश्यकतानुसार उनका मार्गदर्शन करना।

६. संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए महामंत्री को ५००/- रू नगद रखने का अधिकार होगा।

७. संस्था संबंधी सभी महत्तपूर्ण कागजात कार्यालय में अपने संरक्षण में रखना एवम् समय पर कार्य-समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

८. बैठको की व्यवस्था व संचालन का निर्वाह करना एवम् साधारण सभा में आय-व्यय विवरण को प्रस्तुत करना।

घ संयुक्त मंत्री :

१. संस्था के महामंत्री की मदद करना।

२. कार्य समिति अध्यक्ष एवं महामंत्री के निर्देशानुसार संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग देना।

Certified & Checked
True Copy R.T.I.

For R. T. I. Public Charitable Trust

R.T.I. Public Charitable Trust E-19306 Mumbai

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ङ. | संगठन एवं प्रचार मंत्री | : | १. | शाखाओं का निरीक्षण एवम् मार्गदर्शन करना। |
| | | | २. | संस्था की गतिविधियों का महानगर तथा उपनगरों में प्रचार करना। |
| | | | ३. | कार्य समिति की स्वीकृति से शाखाएं खोलना। |
| | | | ४. | प्रचार कार्य का विवरण महामंत्री को देना। |
| | | | ५. | संस्था की बैठकों तथा सभाओं की सूचना, विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना। |
| च. | कोषाध्यक्ष | : | १. | संस्था के आय-व्यय का व्यवस्थित विवरण रखना। |
| | | | २. | संस्था के कोषवृध्दि के लिए साधन जुटाना। |
| | | | ३. | अध्यक्ष तथा महामंत्री की आज्ञानुसार संस्था के कोष का उपयोग करना। |
| | | | ४. | कोषाध्यक्ष को अपने पास ५००/- (पाँच सौ) नकद रखने का अधिकार होगा। |
| | | | ५. | संस्था के कोष को बैंक में खाता खोलकर जमा करना। |
| | | | ६. | बैंक से रुपया निकालने के लिए कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। |
| नोट | | | १. | अध्यक्ष या महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से ही बैंक से रुपया निकाला जा सकेगा। |
| | | | २. | पाँच सौ रुपये से अधिक खर्च के लिए कार्यसमिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। |
| छ. | सह-कोषाध्यक्ष | | १. | कोषाध्यक्ष की सहायता करना। |
| ज. | आंतरिक लेखा परीक्षक | : | | संस्था के आय-[illegible] का त्रैमासिक निरीक्षण करना, हिसाब की त्रुटियों को सुधारना तथा अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट महामंत्री के पास भेजना। |

Certified & Che

For R. T. I. Public Charitable Trust

७ संस्था की कार्य-समिति तथा उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन ३ वर्ष (त्रिवार्षिक) होगा।

८ निर्वाचन में मत देने का अधिकार उन्ही सदस्यों को होगा जो कम से कम दो वर्ष से संस्था का सदस्य होगा।

९ हितचिंतक सदस्य को मत देने का अधिकार नही होगा।

नोट : कार्य समिति की सदस्यता के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भरना होगा।

१०. पदाधिकारियों एवम् कार्य समिति के सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थानों को कार्य समिति द्वारा मनोनित करके भरा जायेगा।

११ यदि उपाध्यक्ष एवम् महामंत्री कार्यसमिति के आधे से अधिक सदस्यों की स्थान रिक्तता (त्याग पत्र के कारण) के कारणों से पूर्ण संतुष्ट हो तो संस्था की विशेष साधारण सभा बुलाकर इस विषय पर विचार किया जाए और विशेष साधारण सभा बहुमत से जो निर्णय करें उसे मान्य किया जाए।

१२ कार्यसमिति :

१. कार्यसमिती के सदस्यों की संख्या २५ होगी। जिसमें २२ को साधारण सभा चुनेंगी और शेष ३ को कार्यसमिति कुनोनीत करेगी।
२. कार्यसमिति की बैठक प्रतिमाह होगी जिसकी लिखित सूचना यू.पी.सी.पोस्ट द्वारा ७ दिन पूर्व दी जानी चाहिए।
३. कार्यसमिति के सदस्यों के एक तिहाई (१/३) के हस्ताक्षर पर कार्यसमिती की बैठक, विशेष कार्य के संपादनार्थ, तीन दिन की पूर्व सूचना पर कभीभी बुलाई जा सकती है।
४. कार्यसमिती का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई (१/३) होगा।
५. संस्था की चल-अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय के संबंध में, संरक्षक मंडल एवम् कार्य समिति के संयुक्त बैठक में विचार कर, अंतिम निर्णय के लिए विशेष साधारण सभा बुलाई जाएगी।

Certified & Checked
True Copy R.T.I.
For R. T. I. Public Charitable Trust
Trustees
R.T.I. Public Charit...
E-19206
Mumbai

६. कार्यसमिति नामांकन पत्रों की जाँच के लिए एक उपसमिति गठित करेगी। जो वैध तथा अवैध नामांकन पत्रों की सूची कार्य समिति को प्रस्तुत करेगी।

७. संस्था द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के लिए उपसमितियों का गठन करना तथा कार्य निर्धारित करना।

८. पुरानी कार्यसमिति तथा उसके पदाधिकारी तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक नयी कार्यसमिति द्वारा पदाधिकारियों का निर्वाचन नही कर लिया जाता।

-3. संरक्षक सदस्य :

१. जो सदस्य २५००/- रूपये एकमुश्त संस्था को प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन संरक्षक सदस्य होगा। (नोट) संस्था की कार्यसमिति, किसी भी सदस्य दानदाता को संरक्षक के रू. में स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकती है।

२. संरक्षक मंडळ : संस्था की सम्पत्ति (चल । अचल) के संरक्षण, संचालन क्रय एवं विक्रय के किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पूर्व संरक्षक मंडल को, संस्था की कार्य समिति को विश्वास में लेना होगा। यदि संरक्षक मंडल एवं कार्य समिति में किसी प्रस्ताव को पारित की संयुक्त बैठक में ३/४ के निर्णय से प्रस्ताव को पारित या अस्वीकृत कर सकती है (इस विशेष बैठक में कार्य समिति एवं संरक्षक मंडल के सभी) सदस्यों की उपस्थिती आवश्यक होगी।

3. संरक्षक मंडल का गठन : संरक्षक मंडल के पदाधिकारी, संस्था के कार्य समिति के पदाधिकारी नही होंगे। संरक्षक मंडल में कुल ११ सदस्य होंगे और मंडल का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा।

क. पाँच हजार रूपए या इससे अधिक प्रदान करनेवाले संरक्षकों में से प्रथम ५ सदस्य संरक्षक मंडल के आजीवन सदस्य होंगे.

Cer[illegible] & Checked

For R. T. I. Public Charitable Trust

Public Charita[illegible]
[illegible]-18206

नोट : जब तक इस श्रेणी के दानदाता, उपर्युक्त निर्धारित संख्या तक उपलब्ध नहीं होते तब तक उन सदस्यों का निर्वाचन संरक्षक सदस्य करेंगे । २५००/- रू प्रदान करनेवाले सदस्यों में से कुल ११ सदस्य, संरक्षक सदस्यों द्वारा संरक्षक मंडल में निर्वाचित किए जाऐंगे, जिनकी कार्यकाल केवल दो वर्ष का होगा ।

विशेष नोट : संस्था का विस्तार सभी श्रेणियों के सदस्यों के बड़े आकार पर, समयानुसार संरक्षक मंडल के गठन, कार्य, अधिकार, निर्वाचन पध्दति आदि पर पूर्ण चर्चा व विचार कर इसमें आवश्यक परिवर्तन, संशोधन करना अथवा नए नियम को जोड़ना प्रस्तावित समझा जाय ।

४ साधारण सभा :

१. संस्था कि साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार कार्य समिति के निश्चयानुसार होगी ।

२. परिस्थिति विशेष में कार्य समिति के निश्चयानुसार अतिरिक्त साधारण सभा उचित समयपर बुलाई जा सकती है ।

३. संस्था के साधारण सभा के २/१० सदस्यों से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर सात दिन के अंदर संस्था के कार्य समिति की आवश्यक बैठक बुलाई जायेगी जिसमे अतिरिक्त साधारण सभा बुलाने के लिये स्थान व समय निर्धारित किए जाऐंगे । यह बैठक अनुरोध प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर बुलाई जाएगी और सदस्यों को इसकी सूचना ७ दिन के पहले दी जानी चाहिए ।

४. साधारण सभा की सूचना ३० दिन की नोटिस पत्र या समाचार पत्र द्वारा दी जानी चाहिए ।

नोट : साधारण सभा उन्हीं संशोधनों को अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी जो पुरानी कार्य समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों के ३/४ के बहुमत से स्वीकृत किए गए हों ।

Certified & Checked
True Copy R.T.I.

Public Charitable Trust
E-19206
Mumbai

५. मानद सदस्यों की नियुक्ति करना।

६. विषय समिति का गठन जो खुले अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करें।

नोट : क. संविधान संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों ३/४ की अनुमति आवश्यक है।

ख. मतदान, मत - पेटी द्वारा या कार्यसमिति के निर्णयनुसार किया जाएगा।

साधारण सभा का सदस्य :

मतदाता सदस्यों के १/५ या न्युनतम ८० सदस्यों की उपस्थिति में जो कम हो कोरम पूर्ण समझा जाएगा।

नोट : कोरम के अभाव में साधारण सभा आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी. यदि फिर भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो उपस्थित सदस्यों द्वारा कार्य संपन्न किया जाएगा जो वैधानिक होगा।

पदाधिकारियों का चुनाव :

१. निर्वाचित कार्य समिति के सदस्य अपनी प्रथम बैठक में कार्य समिति के तीन सदस्यों को मनोनीत करेंगे और द्वितीय बैठक में पदाधिकारीयों का निर्वाचन करेंगे। दोनो बैठक १५ दिन के अंदर बुलाना अनिवार्य होगा।

अधिवेशन :

अधिवेशन साधारण के साथ - साथ या कार्य समिति के निश्चयानुसार उचित समय पर आयोजित किया जाएगा।

Certified & Checked
True Copy R T.I.

Per R. T. I. Public Charitable Trust

Trustees

Public Cha
-1920
Mumbai

१९. अधिवेशन का कार्य :

१. परिचय एवं स्वागत ।

२. उद्घाटन भाषण ।

३. नव निर्वाचित कार्य समिति तथा पदाधिकारियों के नामों की घोषणा ।

४. प्रस्तावों की स्वीकृति ।

५. मुख्य अतिथि का भाषण ।

६. अध्यक्षीय भाषण ।

७. आभार प्रदर्शन एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कार्य ।

२०. शाखाएँ :

क. संस्था की कार्य समिति के पूर्व स्वीकृति से किसी भी क्षेत्र में, जहाँ १०० साधारण सदस्य, ५ आजीवन सदस्य तथा एक संरक्षक सदस्य बन जाय, संस्था की शाखा खोली जा सकती है ।

ख. शाखा की कार्य समिति के सदस्यों की संख्या ११ होगी । यदि कोई शाखा अपने कार्य समिति के सदस्यों की संख्या इससे अधिक रखनी चाहती है तो उसके लिए केन्द्रीय कार्य समिति से पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

ग. शाखाओं के हितचिंतक, साधारण, आजीवन तथा संरक्षक, सदस्यता शुल्क केन्द्रीय कोष में जमा करना पड़ेगा ।

घ. शाखाओं के साधारण सदस्यता शुल्क का ९०% शाखाओं को अनुदान के रूप में दिया जा सकता है । जिसे शाखाएँ अपनी कार्य समिति के निर्णयानुसार काम कर सकती है ।

ङ. सदस्यता शुल्क की रसीद बुक, शाखाओं को केंद्र द्वारा प्रदान की जायेगी ।

च. शाखाओं को अपने त्रैमासिक विवरण, आय - व्यय लेखा सहित संस्था को देना अनिवार्य होगा । अन्यथा केन्द्रीय कार्य समिति के निर्णयानुसार वैधानिककार्यवाही की जायेगी ।

Certified & Checked

Certified & Checked
True Copy R.T.I.

For R. T. I. Public Charitable Trust

R.T.I. Public Char...
...-19206
Mumbai

छ. शाखाओं को संस्था के विधान के अनुसार ही कार्य करना होगा ।

नोट : सभी स्थानिय विषयों पर शाखाएँ स्वतंत्र रूप से विचार कर सकती है, और संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक पत्र व्यवहार भी कर सकती है। किन्तु पत्र की प्रति केन्द्र को सूचनार्थ भेजनी होगी ।

ज. शाखाओं द्वारा स्थानीय समस्याओं से अतिरिक्त विषयों पर पत्र व्यवहार केन्द्रीय कार्य कमिति की पूर्व स्वीकृति पर ही किया जा सकता है ।

झ. शाखाएँ, किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन या धन संग्रह का कार्य, संस्था की पूर्व स्वीकृति से ही कर सकती है। धन संग्रह के लिए दान की रसीद बुके केन्द्र से दी जाएगी । कार्यक्रम समाप्त होने पर शाखाओं को, आय-व्यय का पूर्ण विवरण संस्था की कार्य समिति को देना होगा।

ट. <u>शाखाओं की भंग करना :-</u>

संस्था संविधान के किसी नियम अथवा कार्य समिति के आदेशों का उल्लंघन करनेवाली शाखाओं को भंग करने का पूर्ण अधिकार संस्था की सेंट्रल कार्य समिति को होगा।

नोट : ऐसे सदस्यों द्वारा संस्था में पुनः प्रवेश के लिए लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कार्य समिति विचार करेगी और आगामी साधारण सभा की स्वीकृति से प्रवेश देने या न देने का निर्णय लेगी।

विघटन : संस्था के बंद होने पर उसके ऋण को अदा करने के बाद जो संपत्ति बचेगी वह ट्रस्ट के सदस्यों में न बांटी जाकर, इसी कार्य के लिए बुलाई गई साधारण सभा या असाधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के कम से कम ३/४ मतों की स्वीकृति से, संस्था के उद्देश्यों से मिलती जुलती या ऐसी ही संस्था को दे दीया जाएगा ।

Certified & Chequed
True Copy R.T.I.

For M. T. I. Public Charitable Trust

Trustees

Public Charitable ... 19206 ... Mumbai

संस्थापक अध्यक्ष श्री. देव आर. तिवारी के फाऊंडेशन हॉल, धोबी तलाव, मुंबई - २. पर दिनांक ३१ डिसेंबर २००० के बैठक हुई, बैठक में " **आर. टी. आय. पब्लिक चॅरीटेबल ट्रस्ट - मुंबई** " के उद्देश्य एवं नियम को सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

Public Charitable Trust
…-19206
Mumbai

**Certified & Checked**
**True Copy R.T.I.**

For R. T. I. Public Charitable Trust

Trustees

For R. T. I. Public Charitable Trust

Trustees